संलग्नक -17

ne : 0591-2485

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार, दिल्ली रोड, मुरादाबा

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARI

1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Baudha Vihar, Delhi Road, Moradabad

सन्दर्भ.......1160/D-25/ अनापत्ति/ मु0/15/00 दिनांक......11/6/15.....

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0 / रा0),
मुरादाबाद।

विषयः प्रस्तावित स्थल ग्राम–ताहरपुर, थाना–मैनाठेर, तहसील व परगना–बिलारी, जनपद–मुरादाबा के गाटा संख्या–25, रकबा–0.0160 है0 एवं गाटा संख्या–26, रकबा–0.3280 है0 पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–654 / आबकारी सहायक / 2015 दिनांक 20.05.1 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उक्त स्थल पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु विभागीय आख्या चाही गयी है। तत्क्रम में उक्त संदर्भित स्थल का निरीक्षण कराया गया है। मूल निरीक्षण आख्या इस आशय से संलग्न कर आपको प्रेषित है कि उक्त स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते कि भण्डारण से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जायेगा। यदि जनरेटर की स्थापना की जाती है तो एकास्टिक एनक्लोजर एवं मानकों के अनुरूप एग्जास्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

(अजय शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

राजकुमार जिन्दल
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
विधिवत गठित न्यायवादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0), मुरादाबाद के पत्र संख्या–654/आबकारी सहायक/2015 दिनांक 20.05.2015 के सदंर्भ में प्रस्तावित स्थल ग्राम–ताहरपुर, थाना–मैनाठेर, तहसील व परगना–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद के गाटा संख्या–25, रक्बा–0.0160 है0 एवं गाटा संख्या–26, रक्बा–0.3280 है0 पर मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड, वेदव्यासपुरी, परतापुर, जनपद–मेरठ के पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या:–

उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण दिनांक 02.06.15 को किया गया। स्थल निरीक्षण के समय निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम–ताहरपुर, थाना–मैनाठेर, तहसील व परगना–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद के गाटा संख्या–25, रक्बा–0.0160 है0 एवं गाटा संख्या–26, रक्बा–0.3280 है0 पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त प्रस्तावित स्थल के पूरब दिशा में मैसर्स इण्डियन ऑयल का पेट्रोल पम्प, दूरी लगभग 400.0 मीटर, दक्षिण–पूरब दिशा में सम्भल–मुरादाबाद रोड तथा उसके बाद ग्राम ताहरपुर दोयम, लगभग 100 मीटर की दूरी पर, पश्चिम दिशा में लालपुर गंगवानी रोड, दूरी लगभग 100.0 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3. प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. उक्त प्रस्तावित स्थल पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(राजीव कुमार)
अनु0सहा0

सहा0वैज्ञा0अधि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

04.6.15

राजकुमार जिन्दल
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
विधिवत गठित न्यायवादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय

105 काम

संलग्नक-10

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :- 5883 /46एम-मु0क्षे0/13 दिनांक :- 4-9-2015

सेवा में,

जिलाधिकारी
मुरादाबाद।

विषय :- ग्राम-तहारपुर, थाना-मैनाठेर, तहसील व परगना-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद स्थित गाटा सं0-25 रकबा-0.0160 है0 एवं गाटा सं0-26 रकबा-0.3280 है0 पर मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, मेरठ के रिटेल आउटलेट(पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक-654/आबकारी सहायक/2015 दिनांक 20.05 .2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्रांक-3678/105काम-मु0वृत/15 दिनांक 04.09.2015 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक-479/1प्रा0वर्ग/15-16 दिनांक 26.08.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में जनपद मुरादाबाद में ग्राम-तहारपुर, थाना-मैनाठेर, तहसील व परगना-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद स्थित गाटा सं0-25 रकबा-0. 0160 है0 एवं गाटा सं0-26 रकबा-0.3280 है0 पर मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, मेरठ के रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3- भू-स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
5- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
6- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
7- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
8- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्न :- 1-साईट प्लान-1
2-अधी0अभि0, मु0वृत का पत्र सं0-3678/
105काम-मु0वृत/15 दिनांक 04.09.2015
एवं अधि0अभि0, नि0खण्ड-1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद का पत्र सं0-479/1प्रा0वर्ग/15-16
दिनांक 26.08.2015 (छाया प्रति संलग्न)

(ए0के0 भाटिया)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- 1-अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 04.09.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता,
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

राजकुमार जिन्दल
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
विधिवत गठित न्यायवादी
हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय